Funded by the European Union

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS | ASIA

UNDP

व्यावसायिक दायित्व और वहनीयता सूचना प्रारूप

बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फॉर्मेट और गाइडेंस नोट का हिंदी में अनुवाद मूल दस्तावेज के लेखक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) का आधिकारिक अनुवाद नहीं है। जबकि सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, हम अनुशंसा करते हैं कि पाठक किसी भी आधिकारिक उपयोग या उद्धरण के लिए मूल अंग्रेजी संस्करण देखें। यह प्रकाशन एशिया में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के तहत तैयार किया गया था, जिसे यूएनडीपी द्वारा यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी में लागू किया गया था। इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे यूएनडीपी सहित यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हों। इस प्रकाशन में नियोजित पदनाम और सामग्री की प्रस्तुति किसी भी देश, क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, या इसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय की ओर से किसी भी राय की अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं है. इस दस्तावेज़ को यूरोपीय संघ की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए।

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

व्यावसायिक दायित्व और वहनीयता सूचना प्रारूप

खंड A: सामान्य विवरण

सूचीबद्ध निकाय/संस्था/इकाई का विवरण

1. सूचीबद्ध निकाय/संस्था/इकाई का कॉर्पोरेट आइडेन्टिटी नंबर (सीआईएन)
2. सूचीबद्ध निकाय/संस्था/इकाई का नाम
3. निगमन वर्ष
4. पंजीकृत कार्यालय का पता
5. कॉर्पोरेट पता
6. ई-मेल
7. टेलीफोन
8. वेबसाइट
9. वित्तीय वर्ष जिसकी सूचना दी जा रही है
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां पर शेयर सूचीबद्ध हैं
11. चुकता पूंजी
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की पूछताछ के मामले में संपर्क किया जा सकता है
13. सूचना का दायरा - क्या इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी स्टैंडअलोन (अर्थात केवल वही इकाई) के आधार पर हैं या समेकित (अर्थात उस इकाई और उन सभी इकाइयों को मिलाकर जो उसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं) आधार पर।

उत्पाद / सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (90 प्रतिशत टर्नओवर का लेखांकन)

क्रमांक	प्रमुख गतिविधियों का विवरण	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	टर्नओवर का प्रतिशत

15. संस्था या कंपनी द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद/सेवाएं (इकाई के 90 प्रतिशत टर्नओवर का लेखांकन)

क्रमांक	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का प्रतिशत

संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या संचालन/संस्था या कंपनी का कार्यालय स्थित हैं

अवस्थिति	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल संख्या
राष्ट्रीय			
अंतरराष्ट्रीय			

17. कंपनी/ संस्था द्वारा सेवित बाजारः

a) स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	

b) संस्था या कंपनी के कुल कारोबार के निर्यात का प्रतिशत क्या है?

c) ग्राहकों की संक्षिप्त जानकारी

कर्मचारियों का विवरण

18. वित्तीय वर्ष के लिए विवरण एवं ब्यौरेः

a) कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या (दिव्यांगों सहित)

क्रमांक	विवरण	कुल(A)	पुरुष		स्त्री	
			सं. (B)	प्रतिशत(B/A)	सं. (C)	प्रतिशत(C/A)
कर्मचारी						
1.	**स्थायी (D)**					
2.	**अस्थायी (E)**					
3.	**कुल कर्मचारी**					
श्रमिक						
4.	**स्थायी (F)**					
5.	**स्थायी के अलावा अन्य (G)**					
6.	**कुल श्रमिक (F + G)**					

b) दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या

क्र.	विवरण	कुल(A)	पुरुष		स्त्री	
			संख्या. (B)	% (B/ A)	संख्या. (C)	% (C / A)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (D)					
2.	स्थायी के अलावा अन्य (E)					
3.	कुल कर्मचारी					
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (F)					
5.	स्थायी के अलावा अन्य (G)					
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (F + G)					

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (A)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या. (B)	% (B / A)
निदेशक मंडल			
मुख्य कार्मिक प्रबंधन			

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान की जानकारी)

	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष (गत वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष (गत वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर की दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी									
स्थायी श्रमिक									

होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (a) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र.सं.	होल्डिंग का नाम / सहायक/सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यम (A)	स्पष्ट करें कि क्या है- होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	क्या कॉलम अ में दर्शायी गयी कंपनी सूचीबद्ध कंपनी के व्यावसायिक दायित्वों को साझा करती है? (हां/नहीं)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) विवरण

22.

क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/ नहीं)	टर्नओवर (रु.)	शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) (रु. में)

पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं)	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष		
	(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय							
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)							
शेयरधारक							
कर्मचारी और श्रमिक							
ग्राहक							
मूल्य श्रृंखला भागीदार							
अन्य (कृपया विवरण दें)							

कंपनी के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय के व्यवहारिक मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्न प्रारूपों के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से जुड़े महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसायिक आचरण और वहनीयता संबन्धी मुद्दों को स्पष्ट करें जो आपके व्यवसाय के लिये कोई जोखिम या मौका उपलब्ध कराते हों, इसकी पहचान करने का आधार, इससे जुड़े जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में बतायें।

क्र.सं.	पहचान किये गये महत्त्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जोखिम/अवसर)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, उसके अनुरूप या उसे कम करने संबन्धी दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर की वित्तीय परिणति (स्पष्ट करें सकारात्मक या नकारात्मक परिणति)

खंड B

प्रबंधन और प्रक्रिया की जानकारी

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

जानकारी दिये जाने के लिये प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1 a. क्या आपकी कम्पनी की कार्यनीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां /नही)									
b. क्या कार्यनीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां /नही)									
c. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो									
2. क्या कंपनी ने नीति को प्रक्रियाओं में बदला है। (हां /नही)									
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हां /नही)									
4. आपकी कंपनी द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टूअर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एस.ए. 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत का विवरण ।									
5. कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, निश्चित समय-सीमा के साथ यदि कोई हो तो ।									
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी का कार्यप्रदर्शन, साथ ही अगर वे पूरे नहीं हुए हैं तो उनका कारण									

शासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, व्यावसायिक दायित्व की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान (सूचीबद्ध कंपनी के पास इस प्रकटीकरण के संबंध में छूट है)	
8. व्यावसायिक उत्तरदायी नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	
9. क्या संस्था के पास स्थिरता और निरंतरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां / नही)। यदि हां, तो विवरण दें।	

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः																		
समीक्षा के लिए विषय	बतायें करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/ समिति /किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / कोई अन्य कृपया स्पष्ट करें)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई																		
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार																		
11. क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन किया है? (हां नही)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।																		

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए जाएंः

प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
कंपनी अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं समझती (हां/नहीं)									
कंपनी उस स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार और लागू कर सके। (हां/नहीं)									
कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)									
यदि कोई अन्य कारण हों, (कृपया विवरण दें)									

खंड C :
सिद्धांतवार कार्य निष्पादन की जानकारी

इस खंड का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने के उनके कार्य को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य आवश्यक संकेतकों की जहां प्रत्येक कंपनी द्वारा जानकारी देने की उम्मीद की जाती है, वहीं नेतृत्व संकेतकों को ऐसी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से बताया जा सकता हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के अपने प्रयास में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखती हैं।

सिद्धांत 1

व्यवसायों को अपने कामकाज का संचालन ईमानदारी से करना चाहिए और यह ऐसा हो जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह हो।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा किये गये कवरेज का प्रतिशतः

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल			
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी			
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारी			
श्रमिक			

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गयी कार्यवाही में (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए अर्थदंड/जुर्माना/दंड/फैसला /शमन शुल्क/निपटानराशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें: (नोटः इकाई यह जानकारी उस महत्व के आधार पर देगी जैसा कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में बताया गया है और इकाई की अपनी वेबसाइट पर सूचित किया गया है :

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**यामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम**	**शि (रु0 में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां नही)**
दंड / जुर्माना					
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					
गैर मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**यामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां नही)**	
कैद					
सज़ा					

3. ऊपर प्रश्न 2 में बताए गए प्रकरणों में से उन मामलों में अपील/ पुनरीक्षण का विवरण, जिनमें मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम**

4. क्या निकाय/संस्था/कंपनी के पास भ्रष्टाचार निरोधक या रिश्वत निरोधक नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति का एक वेब-लिंक प्रदान करें।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थीः

	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष	**वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष**
निदेशक मंडल		
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी		
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारी		
श्रमिक		

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष		वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष	
	संख्या	**टिप्पणी**	**संख्या**	**टिप्पणी**
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				
एमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा किए गए जुर्माने/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें।

नेतृत्व संकेतक

1.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमः

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	**प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किये गये विषय/सिद्धांत**	**जागरूकता कार्यक्रम के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)**

2.

क्या बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव से बचने/ संभालने के लिए संस्था के पास कोई प्रक्रिया है ? (हां/नहीं) यदि हां, तो इसका विवरण प्रदान करें।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को इस तरीके से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों:

आवश्यक संकेतक

1

उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशतनिकाय/ इकाई/संस्था द्वारा क्रमशः कुल अनुसंधान और विकास और कैपेक्स निवेश के परिप्रेक्ष्य में ।

	चालू वित्त वर्ष	गत वित्त वर्ष	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में किये गये सुधार
अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)			
पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)			

2

क. क्या निकाय/संस्था/इकाई के पास निरंतर सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित है?

3

उत्पाद के उपयोग की अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग और निपटान के लिए उसे सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने संबन्धी प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के मामले में।

4

क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादनकर्ता उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदम का वर्णन करें।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या निकाय/संस्था/इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र संभाव्यता / आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार का प्रतिशत	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र संभाव्यता / आकलन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/नहीं)	सार्वजनिक तौर पर सूचित किये गये परिणाम (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।

2. यदि संस्था/निकाय/कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चुनौती और/या जोखिम है, जिनकी कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य संभाव्यता /आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचान की गई है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ संक्षेप में विवरण दें

उत्पाद/सेवा का नाम	चुनौतियों/जोखिमों का विवरण	की गई कार्रवाई

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किये गये कच्चे माल का प्रतिशत।

कच्चा माल सूचकांक	कुल सामग्री में से पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया गया कच्चा माल	
	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष

4. निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, उत्पादों की एक्सपायरी पर पुननिर्मित उत्पादों और पैकेजिंग के फलस्वरूप पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान किया गया उत्पाद (मीट्रिक टन में)

	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष		
	पुनः उपयोग उत्पाद	पुनर्नवीनीकरण उत्पाद	सुरक्षित रूप से निपटान किया गया उत्पाद	पुनः उपयोग उत्पाद	पुनर्नवीनीकरण उत्पाद	रक्षित रूप से निपटान किया गया उत्पाद
प्लास्टिक कचरा (पैकेजिंग सहित)						
खतरनाक ई-कचर						
अन्य कचरा						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में पुननिर्मित उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी सूचकांक	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुननिर्मित उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री

सिद्धांत 3

व्यवसायों को उन कर्मचारियों सहित जो उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल हैं, सभी कर्मचारियों के कल्याण एवं भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1

a कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण

वर्ग	शामिल किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत											
	कुल A	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व बीमा		पितृत्व बीमा		डे केयर सुविधा		
		सं. (B)	% (B / A)	सं. (C)	% (C / A)	सं. (D)	% (D/A)	सं. (E)	% (E / A)	सं. (F)	% (F / A)	
स्थायी कर्मचारी												
पुरुष												
महिला												
कुल												
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी												
पुरुष												
महिला												
कुल												

b. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण

वर्ग	शामिल किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल A	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व बीमा		पितृत्व बीमा		डे केयर सुविधा	
		सं. (B)	% (B / A)	सं. (C)	% (C / A)	सं. (D)	% (D/A)	सं. (E)	% (E / A)	सं. (F)	% (F / A)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष											
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिक											
पुरुष											
महिला											
कुल											

2

वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष			वित्तवर्ष गत वित्त वर्ष		
लाभ	शामिल कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों के % के रूप में	शामिल श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों के % के रूप में	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई राशि (हां/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई राशि (हां/नहीं/ लागू नहीं)
पी.एफ.						
ग्रेच्युटी						
ईएसआई						
अन्य -कृपया स्पष्ट करें						

3

कार्यस्थलों तक पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या निकाय/ कंपनी/संस्था के परिसर/कार्यालय तक दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों की पहुंच सुलभ है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में निकाय/कंपनी/संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

4

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।

5

मातृत्व-पितृत्व की छुट्टियाँ लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारियों की संख्या		स्थायी श्रमिकों की संख्या	
लिंग	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**	**काम पर वापसी दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष				
महिला				
कुल				

6

क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां /ना **(यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।)**
स्थायी श्रमिक	
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	

7

सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों) या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यताः

श्रेणी	**वित् वर्ष चालू वित्त वर्ष**			**वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष**		
	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की कुल सं. (A)	**संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ (संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (B)**	**% (B / A)**	**संबंधित श्रेणी में कर्मचारी/ श्रमिकों की कुल सं. (C)**	**संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ (संघों) या यूनियन का हिस्सा हैं (D)**	**% (D / C)**
कुल स्थायी कर्मचारी						
पुरुष						
महिला						
कुल स्थायी कामगार						
पुरुष						
महिला						

8

कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	कुल A	क्षा एवं स्वास्थ्य उपायों पर		शल उन्नयन पर		कुल D				
		कुल (B)	% (B / A)	कुल (C)	% (C / A)		कुल (E)	% (E / D)	कुल (F)	% (F / D)

9

कर्मचारियों और श्रमिकों के कामकाज और करियर विकास की समीक्षा का विवरणः

श्रेणी	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष		
	कुल (A)	(B)	% (B / A)	कुल (C)	(D)	% (D / C)
कर्मचारी						
पुरुष						
महिला						
कुल						
श्रमिक						
पुरुष						
महिला						
कुल						

10

स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीः

क्या कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां /नही)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज?

कंपनी/संस्था/निकाय कार्य-संबंधी जाखिमों एवं काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

क्या आपके पास श्रमिकों के लिए उनके काम से संबंधित खतरों और जोखिमों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से उनको बचाने एवं दूर करने की प्रक्रियाएं मौजूद हैं। (हां / नहीं)

क्या कंपनी/संस्था/निकाय के कर्मचारियों/ श्रमिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

11

निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरणः

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ़्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी		
	श्रमिक		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी		
	श्रमिक		
मौतों की संख्या	कर्मचारी		
	श्रमिक		
कार्य से जुड़ी गंभीर चोटें या अस्वस्थता (मौतों को छोड़कर)	कर्मचारी		
	श्रमिक		

12

एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें ।

13

कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष गत वित्त वर्ष		
	के दौरान दायर	के अंत में लंबित प्रस्ताव	टिप्पणी	केदौरान दायर	के अंत में लंबित प्रस्ताव	टिप्पणी
काम करने की स्थिति						
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

14

वर्ष के लिए आकलनः

	पके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया थाइकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय	
काम करने की स्थिति	

15

सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो तो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंता के समाधान हेतु की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

नेतृत्व संकेतक

1

क्या कंपनी/संस्था/निकाय (A) कर्मचारियों एवं (B) श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में किसी तरह का जीवन बीमा या क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है। (हां /नहीं)

2

कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दें जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया काटा गया है और जमा किया गया है।

3

उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बतायें जिनको काम के दौरान चोट आई/बीमारी हुई/मृत्यु हो गयी (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) तथा जिनका पुनर्वास किया गया और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियो/श्रमिकों/ की कुल संख्या		**कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है।**	
	वित्त वर्ष **चालू वित्त वर्ष**	**वित्त वर्ष** **गत वित्त वर्ष**	**वित्त वर्ष** **चालू वित्त वर्ष**	**वित्त वर्ष** **गत वित्त वर्ष**
कर्मचारी				
श्रमिक				

4

क्या निकाय/संस्था/इकाई सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत को संभालने के लिए ट्रान्जिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम (परिवर्तनकाल सहायता कार्यक्रम) प्रदान करती है? (हाँ/ नही)

5

मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरणः

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत जिनका आकलन किया गया था (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से)
स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय	
काम करने की स्थिति	

6

मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों और कार्य दशाओं के आकलन से पता चलने वाले महत्वपूर्ण खतरों/चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1

इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान प्रक्रिया का विवरण दें ।

2

अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	**क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचान की गई (हां/नहीं)**	**संचार का माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) अन्य**	**कार्य की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य - कृपया स्पष्ट करें)**	**इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा**

नेतृत्व संकेतक

आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच विचार विमर्श की प्रक्रियाओं की जानकारी दें या यदि विचार विमर्श का कार्य किसी और को सौंपा जाता है, तो बोर्ड को ऐसे विचार विमर्श से मिलने वाले फीडबैक से कैसे अवगत कराया जाता है।

क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे मामलों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था।

कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1 कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (नीतियों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्त वर्ष_____ चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष_____ गत वित्त वर्ष		
	कुल (A)	ऐसे कर्मचारयों/ श्रमिकों की संख्या (B)	% (B / A)	कुल (C)	ऐसे कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (D)	% (D / C)
कर्मचारी						
स्थायी						
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी						
श्रमिक						
स्थायी						
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी						

2

कर्मचारियों और श्रमिकों को दिये जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रारूप में:

श्रेणी चालू	वित्त वर्ष_____चालू वित्त वर्ष					वित्त वर्ष_____गत वित्त वर्ष				
	कुल (A)	न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर		न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक		कुल (D)	न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर		न्यूनतम पारिश्रमिक से अधिक	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)		संख्या (E)	% (E / D)	संख्या (F)	% (F / D)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष										
महिला										
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष										
महिला										

3

पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ मजदूरी संबंधित श्रेणी का	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी संबंधित श्रेणी का
निदेशक मंडल (बीओडी)				
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी				
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी				
श्रमिक				

4

क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जिस पर व्यापार द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने की जिम्मेदारी है? (हां/ नही)

5

मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का ब्यौरा दें।

6

कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष_____ चालू वित्त वर्ष			वित्त वर्ष_____ गत वित्त वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न						
कार्यस्थल पर भेदभाव						
बाल श्रम						
जबरन श्रम/ अनैच्छिक श्रम						
मजदूरी						
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दे						

7

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

8

क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा बनती हैं? (हां/नही)

9

वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य, कृपया स्पष्ट करें	

10

उपरोक्त प्रश्न 9 के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

नेतृत्व संकेतक

1

मानवाधिकार शिकायतों/ असंतोष के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

2

मानवाधिकार के किसी मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिये की गई समुचित जांच/ समीक्षा की व्यापकता और कार्यक्षेत्र का विवरण।

3

क्या कंपनी/संस्था/निकाय के परिसर/कार्यालय तक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए आसान पहुंच उपलब्ध है?

4

मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का% (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका आकलन किया गया था
बाल श्रम	
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य, कृपया स्पष्ट करें	

5

उपरोक्त प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे बहाल करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1

कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा गहनता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

मापदंड (Parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्त वर्ष)
कुल बिजली खपत (A)		
कुल ईंधन खपत (B)		
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (C)		
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C)		
ऊर्जा गहनता प्रति रुपये टर्नओवर (कुल ऊर्जा खपत/ टर्नओवर रुपये में)		
ऊर्जा गहनता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मेट्रिक्स चुना जा सकता है		

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं ।

2

क्या कंपनी/संस्था/निकाय के भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/ ना) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तो कोई उपचारात्मक कार्रवाई यदि की गई हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।

3

पानी से संबंधित नीचे दी गई जानकारी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड (Parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्त वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतह का जल		
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का पानी		
(iv) समुद्री जल/ विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
पानी निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की तीव्रता प्रति रुपया उत्पादन पर (पानी की खपत/ उत्पादन)		
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है		

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं ।

4

क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र स्थापित किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।

5

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

मापदंड (Parameter)	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्तीय वर्ष)
एनओएक्स			
एसओएक्स			
कणिका तत्व (PM)			
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (HAPएचएपी)			
अन्य - कृपया स्पष्ट करें			

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

6

निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड (Parameter)	इकाई	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्त वर्ष)
स्कोप 1 का कुल उत्सर्जन (GHG में CO2, CH4, N2O, HFC, PFCs की मात्रा, SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष		
स्कोप 2 का कुल उत्सर्जन (GHG में CO2, CH4, N2O, HFC, PFCs की मात्रा , SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष		
स्कोप 1 और स्कोप 2 का कुल उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर पर			
स्कोप 1 और स्कोप 2 की कुल उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/पुष्टि की गईहै? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

7

क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें।

8

कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड (Parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्त वर्ष)
प्लास्टिक अपशिष्ट (A)		
ई- अपशिष्ट (B)		
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (C)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (D)		
बैटरी अपशिष्ट (E)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (F)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई हो। (G)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (H)। कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई हो। (संयोजन के आधार पर ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री)		
कुल (A+B + C + D + E + F + G+ H)		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येकश्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनर्उपयोग और प्राप्ति के अन्य तरीकों से उत्पन्न कुल		
अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) पुनर्नवीनीकरण		
(ii) पुन: उपयोग किया गया		
(iii) प्राप्ति के अन्य तरीकों से		
कुल		

उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण		
(ii) लैंडफिलिंग		
(iii) अन्य निपटान प्रक्रिया		
कुल		

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

9

अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रणालियों में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

10

यदि इकाई के संयंत्र / कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ऐसे क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता क्षेत्र , वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/ आसपास स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें :

क्रमांक	संयंत्र / कार्यालयों का स्थान	काम का तरीका	क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/ना)
			यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।

11

चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां/ नही)	परिणाम सार्वजनिक तौर पर बताये गये (हां/ नही)	संबन्धित वेब लिंक

12

क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/ नही)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रमांक	कानून/विनियम/दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका पालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई, हो

नेतृत्व संकेतक

1

नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से उपयोग की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड (parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्तीय वर्ष)
अक्षय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (A)		
कुल ईंधन खपत (B)		
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (C)		
अक्षय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (A+B+C)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (D)		
कुल ईंधन खपत (E)		
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (एअफ) गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (D+E+F)		

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

2

जल निर्वहन से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड (parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्तीय वर्ष)
गंतव्य से निर्वहन और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतह का जल		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
2) भूजल		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
3) समुद्री जल		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
4) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
5) अन्य		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
कुल जल निकासी (किलोलीटर में)		

3

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक प्रतिष्ठान /संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क्षेत्र का नाम
- संचालन की प्रकृति
- निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

मापदंड (parameter)	वित्त वर्ष_____ (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष_____ (गत वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतह का जल		
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का पानी		
(iv) समुद्री जल/ विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
पानीनिकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर पर (पानी की खपत/ टर्नओवर)		
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य से जल निर्वहन और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतह के जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
(ii) भूजल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
iii) समुद्री जल में		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
(v) अन्य		
कोई उपचार नहीं		
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर स्पष्ट करें		
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)		

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

4

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में स्कोप 3 का कुल उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड (Parameter)	नापने की इकाई	वित्त वर्ष (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष____ (गत वित्त वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (GHG में CO2, CH4, N2O, HFC, PFCs की मात्रा , SF6, NF3, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष		
स्कोप 3 का कुल उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर पर			
स्कोप 3 के कुल उत्सर्जन की गहनता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मेट्रिक्स को इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

नोट : क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन /मूल्यांकन/ पुष्टि की गई है? (हां/ ना) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

5

उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ प्रदान करें।

6

यदि संस्था ने संसाधन दक्षता में सुधार या उत्सर्जन/ अपशिष्ट निर्वहन/ उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी यासमाधानों का उपयोग किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहलों के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:

क्र. संख्या	पहल की गई	पहल का विवरण (वेब-लिंक यदि कोई हो, सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम

7

क्या कंपनी/संस्था/निकाय के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/ वेब लिंक में विवरण दें।

8

पर्यावरण पर कंपनी/संस्था/निकाय की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

9

मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका आकलन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।

सिद्धांत 7

व्यवसायों को सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करते समय, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से ऐसा करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1

a. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

b. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/ संघों की सूची उपलब्ध करायें (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित), इकाई जिनकी सदस्य/ संबद्ध है।

क्रमांक	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का विस्तार (राज्य स्तरीय /राष्ट्रीय)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2

नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई

नेतृत्व संकेतक

1

कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:

क्रमांक	वकालत की गई सार्वजनिक नीति	वकालत के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है? (हां/ नही)	बोर्ड द्वारा की गई समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य- कृपया स्पष्ट करें)	वेब लिंक यदि उपलब्ध हो तो

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी प्रगति और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1

चालू वित्त वर्ष में कंपनी/संस्था/निकाय द्वारा उपयुक्त कानूनों के आधार पर शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां/नहीं)	सार्वजनिक तौर पर बताये गये परिणाम	संबन्धित वेब लिंक

2

उस परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्य किया जा रहा है:

क्रमांक	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर . द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (रुपए में)

3

समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने वाले तंत्र का वर्णन करें।

4

आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कच्चे माल का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल कच्चे माल में से कच्चा माल):

	वित्त वर्ष____ चालू वित्त वर्ष	त्त वर्ष____ गत वित्त वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त किया गया		
सीधे अपने जिले और पड़ोसी जिलों से प्राप्त		

नेतृत्व संकेतक

1

सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई

2

सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्रमांक	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रुपए में)

3

(a) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर/ कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नही)
(b) आप किन हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीदते हैं?
(c) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है?

4

पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों (चालू वित्तीय वर्ष में) का विवरण:

क्रमांक	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/ नही)	लाभ साझा किए गए (हां/नहीं)	लाभ के हिस्से की गणना का आधार

5

बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है, में किसी पर भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई

6

सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए के समूहों के लाभार्थियों का %

सिद्धांत 9

व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1

उपभोक्ताओं की शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने वाले तंत्र का वर्णन करें।

2

उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी है:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3

निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष____ (चालू वित्तवर्ष)		टिप्पणियाँ	वित्त वर्ष_____ (गत वित्त वर्ष)		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	
डाटा गोपनीयता						
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4

सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापसी की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापसी के कारण
स्वैच्छिक वापसी		
जबरन वापसी		

5

क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

6

विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण ; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति ; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें ।

नेतृत्व संकेतक

चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

आवश्यक सेवाओं के बाधित होने/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद

क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्व-पूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नही)

डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- a. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या, इसके कारण पड़े प्रभाव के साथ
- b. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा गोपनीयता उल्लंघनों का प्रतिशत

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

अनुलग्नक 2

व्यावसायिक दायित्व एवं वहनीयता सूचना के प्रारूप के लिए दिशा निर्देश ।.

सामान्य दिशा निर्देश

1. सूचना प्रदान करने के आधारभूत ढांचे की अंतर संचालनीयता – ऐसी सूचीबद्ध संस्थाएं जो जीआरआई, एसएएसबी, टीसीएफडी, एकीकृत सूचना जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त सूचना प्रदान करने के आधारभूत ढ़ांचे के आधार पर वहनीयता रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में) तैयार और प्रस्तुत करती हैं, वे बीआरएसआर के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के लिए ऐसे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत दी गई जानकारी का उपयोग कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूचना प्रारूप में मांगे गए डाटा की पहले ही वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी दे दी गई है, तो सूचीबद्ध संस्था यहां वही संदर्भ दे सकती है।

इस तरह, किसी संस्था को एक ही सूचना को वार्षिक रिपोर्ट में दो बार देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, संस्था को वार्षिक रिपोर्ट या वहनीयता रिपोर्ट की उस पृष्ठ संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए जहां बीआरएसआर प्रारूप के अंतर्गत मांगी गई जानकारी उस रिपोर्ट के हिस्से में शामिल है जो सूचना प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त आधारभूत ढांचे के आधार पर बनाई गई है।

2. सूचना के दायरे में एकरूपता – बीआरएसआर सूचना के दायरे की जानकारी चाहती है यानी कि क्या संस्था के लिए जानकारी देने का यह कार्य केवल स्टैडअलोन आधार पर किया गया है या समेकित आधार पर (संदर्भ: प्रश्न 13, खंड A) । सूचीबद्ध संस्थाओं को पूरी रिपोर्ट में सूचना के दायरे के मामले में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।

3. प्रयोजनीयता – बीआरएसआर के अंतर्गत मांगी गई जानकारियों में से कुछ शायद कुछ उद्योगों पर लागू नहीं हो सकती , जैसे कि सेवा उद्योग। ऐसे मामलों में संस्था कह सकती है कि ऐसी जानकारी देना प्रयोजनीय नहीं है जिसके साथ उसके कारण भी बताए जाएं।

4. ‘’ सूचना अवधि” शब्दावली का तात्पर्य उस वित्त वर्ष से है जिसके लिए बीआरएसआर बनाई जा रही है।

5. सूचीबद्ध संस्था को स्पष्ट, पूर्ण और संक्षिप्त जवाब देने के प्रयत्न करने चाहिए। संबन्धित दस्तावेज के वेब-लिंक, यदि उपलब्ध हों तो प्रदान किए जाएं।

6. मांगी शिकायतों के बारे में मांगी गई सूचना के प्रारूप में एक कॉलम ‘’टिप्पणियों’ का है जिसमें संस्थाएं लंबित शिकायतों (यदि कोई है तो) के लिए कारणों को स्पष्ट कर सकती हैं या जहां आवश्यक हो शिकायतों की प्रकृति का ब्यौरा दे सकती हैं।

7. लिंग की जानकारी के संबंध में, यह प्रारूप पुरूष तथा महिला स्पष्ट को करने को कहता है, हालांकि, यदि संस्था ने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जिन्होंने लिंग का खुलासा नहीं किया है या किसी अन्य लिंग से संबंधित है, तो ऐसे मामलों के लिए ‘’अन्य” का एक कॉलम जोड़ा जा सकता है ।

8. “सिद्धांत” शब्द का संबंध सिद्धांत 1 से 9 तक से है जैसा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक दायित्व आचरण दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है (इस लिंक पर उपलब्ध है: https://www.mca.gov.in/ministry/pdf/National Guideline15032019.pdf)।

9. प्रारूप के अंतर्गत मांगी गई सूचना के अलावा, संस्था उपयुक्त स्थानो पर किसी अन्य वहनीयता से संबन्धित किसी अन्य सूचना की जानकारी दे सकती है।

नोट : यह दिशा निर्देश राष्ट्रीय व्यावसायिक दायित्व आचरण दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी), जीआरआई वहनीयता सूचना मानक और सरकार द्वारा जारी विभिन्न कानूनों से संदर्भ लेकर तैयार किया गया है।

खंड A:

A : सामान्य जानकारी

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
14	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण एमसीए द्वारा निर्धारित फॉर्म एमजीटी – 7 के अनुरुप होगा।
15	संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद / प्रदान की गई सेवाएं	1. संस्था, सूचीबद्ध संस्था द्वारा निर्मित उन सर्वश्रष्ठ उत्पादों या प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी दे जो उसके टर्नओवर का 90% है (अवनतिक्रम में) और साथ ही ऐसे उत्पादों / सेवाओं का कुल टर्नओवर में वैयक्तिक योगदान बताए। 2. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://mospi.nic.in/classification/national-industrial-classification/alphabetic-index-5digit.
18	कर्मचारियों और श्रमिकों का विवरण	1. संस्था कर्मचारियों और श्रमिकों की कुल संख्या की जानकारी दे, साथ ही उनके लिंग (पुरूष/ महिला) और स्थायी / अस्थायी होने की स्थिति स्पष्ट करे। 2."कर्मचारी" शब्द को औद्योगिक संबंध कोड, 2020 की धारा 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्त किसी प्रशिक्षु से अलग) जिसे नौकरी पर या किसी नतीजे के आधार पर कोई कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक श्रम, परिचालनात्मक, पर्यवेक्षीय, , प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए किसी प्रतिष्ठान द्वारा वेतन पर नियुक्त किया गया है, चाहे नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट हों या अस्पष्ट , और ऐसा व्यक्ति शामिल हो जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया है परन्तु संघ की सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य को शामिल नहीं करता। संदर्भ – http://egazette.nic.in/writeReadData/2020/222118.pdf.

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
18		3."श्रमिक" शब्द को औद्योगिक संबंध कोड, 2020 की धारा 2(zr) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है, कोईव्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के खंड 2 की धारा (aa) के अंतर्गत परिभाषित किसी प्रशिक्षु को छोड़कर) जिसे नौकरी पर या किसी नतीजे के आधार पर कोई शारीरिक श्रम, , अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालनात्मक , लिपिकीय या पर्यवेक्षीय कार्य करने के लिए किसी उद्योग में नियुक्त किया गया है, चाहे नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट हों या अस्पष्ट और श्रमजीवी पत्रकार को शामिल करता है जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के खंड 2 धारा (f) मेंपरिभाषित है और विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को शामिल करता है , जैसा कि विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 के खंड 2 की धारा (d) में परिभाषित है,और किसी औद्यगिक विवाद की स्थिति में इस कोड के अंतर्गत किसी कार्यवाही के लिए ऐसा कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, मुक्त या निकाल दिया गया या सेवा समाप्त कर दी गई है या जिसकी बर्खास्तगी, मुक्ति या निकाल देने के कारण यह विवाद हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिलनहीं होगा – i. जिस पर वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) लागू होता है; या ii. जो पुलिस सेवा में या किसी जेल के अधिकारी या कर्मचारी के तौर पर नियुक्त है; या iii. जो मुख्य तौर पर किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में नियोजित है; या iv. जो पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त है और प्रतिमाह अठ्ठारह हजार रूपए से अधिक वेतन ले रहा है या वह राशि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। संदर्भ : http://egazette.nic.in/writeReadData/2020/222118.pdf.

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
18		4."स्थायी कर्मचारी"या"स्थायी श्रमिक" शब्दावली का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी या श्रमिकसे है जो अनिश्चित अवधि के लिए पूर्णकालिक या अंश-कालिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।"स्थायी कर्मचारी के अलावा "या"स्थायी श्रमिक के अलावा "शब्दावली का तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों या श्रमिकों से है जो एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त हैं या जिनकी सेवा एक विशिष्ट अवधि के समाप्त होने या एक विशिष्ट कार्य या कार्यक्रम के पूरा होने पर समाप्त होगी, जैसे कि किसी परियोजना का समाप्त होना या किसी प्रतिस्थापित कर्मचारी का लौट आना। "स्थायी के अलावा "कर्मचारियों या श्रमिकों को सीधे संस्था द्वारा या तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। 5. दिव्यांग कर्मचारियों/ श्रमिकों की पहचान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 और उसके तहत बने नियमों में"दिव्यांग व्यक्ति"की परिभाषा के आधार पर की जा सकती है। 6. संस्था को सूचना की अवधि के अंत में रही स्थिति का विवरण प्रदान करना चाहिए; हालांकि यदि सूचना की अवधि की शुरूआत से अंत तक में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है, तो इसका कारण बताया जाना चाहिए।
19	महिलाओं की भागीदारी / समावेश/ प्रतिनिधित्व (दिव्यांग सहित)	1. किसी कम्पनी के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 2(10) के अंतर्गत परिभाषित निदेशक मंडल या मंडल का अर्थ कम्पनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है। 2. किसी कम्पनी के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 2(51) के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख प्रबंधन कर्मी का अर्थ है – i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक; ii. कम्पनी सचिव; iii. पूर्णकालिक निदेशक; iv. मुख्य वित्तीय अधिकारी; और v. ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि निर्धारत हो संदर्भ : - http://ebook.mca.gov.in/default.aspx

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
20	स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर	1. इस श्रेणी के अंतर्गत, संस्था निर्दिष्ट श्रेणियों के टर्नओवर दरों की जानकारी देगी । 2. संस्था, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किसी विशेष श्रेणी के वित्त वर्ष के टर्नओवर दर की गणना करेगी। (व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वित्त वर्ष में संस्था की नौकरी छोड़ दी है * 100)/ श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों का औसत। 3. एक श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की औसत संख्या की निम्न रूप में गणना की जाएगी (वित्त वर्ष की शुरूआत में श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति + वित्त वर्ष के अंत में श्रेणी में नियुक्त व्यक्ति) / 2 । इसके अतिरिक्त, संस्था की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों में वे शामिल होंगे जो स्वेच्छा से, बर्खास्तगी, निकाले जाने, सेवानिवृत्ति के कारण संस्था छोड़ते हैं या सेवा में मृत्यु हो जाती है।
21	होल्डिंग /सहायक / संबद्ध कम्पनियां / संयुक्त उद्यम	कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 2(10) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, अन्य कम्पनी के परिप्रेक्ष्य में"संबद्ध कम्पनी"का अर्थ है, ऐसी कम्पनी जिसमें अन्य कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है परन्तु वह ऐसा प्रभाव रखने वाली कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कम्पनी शामिल है। व्याख्या — इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये — (a) अभिव्यक्ति"महत्वपूर्ण प्रभाव"का अर्थ है कुल मत शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण या एक करार के अंतर्गत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण या भागीदारी; (b) अभिव्यक्ति"संयुक्त उद्यम"का अर्थ है एक संयुक्त व्यवस्था जिसमें उन पक्षों जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, का व्यवस्था की कुल संपत्तियों पर अधिकार है। 2.जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 2(46) के अंतर्गत"होल्डिंग कंपनी"को एक या एक से अधिक कम्पनियों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है, इसका आशय ऐसी कम्पनी से है, जिसकी ऐसी कम्पनियां सहायक कम्पनियां हैं; व्याख्या - इस खंड के लिए"कम्पनी"शब्द का अर्थ है कोई भी कार्पोरेट निकाय है। 3कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87) के अंतर्गत किसी अन्य कम्पनी (यानि होल्डिंग कम्पनी) के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित सहायक कम्पनी या सहायक , का अर्थ है एक कम्पनी जिसमें होल्डिंग कम्पनी - (i) निदेशक मंडल के गठन को नियंत्रित करती है; या (ii) कुल मत संख्या के आधे से अधिक मतों का या तो स्वयं या अपनी एक या एक से अधिक सहायक कम्पनियों के साथ मिलकर प्रयोग करती है या नियंत्रित करती है : व्याख्या – इस खंड के उद्देश्य केलिए – (a) किसी कम्पनी को होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी समझा जाएगा यदि उप खंड (i) या उप-खंड (ii) में संदर्भित नियंत्रण, होल्डिंग कम्पनी की किसी अन्य सहायक कम्पनी का है; (b) एक कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना को अन्य कम्पनी द्वारा नियंत्रित समझा जाएगा यदि वह अन्य कम्पनी अपने विवेक से उसे प्राप्त कुछ शक्तियों के प्रयोग द्वारा सभी या बड़ी संख्या में निदेशकों को नियुक्त कर सकती है या हटा सकती है;(c)"कम्पनी"शब्द का आशय किसी भी कार्पोरेट निकाय से है; (d) किसी होल्डिंग कम्पनी के मामले में"स्तर"का अर्थ है उसकी एक सहायक कंपनी या अनेक सहायक कंपनियां। संदर्भ – http://ebook.mca.gov.in/default.aspx

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
23	हितधारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र	1. हितधारक वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो वर्तमान में या भविष्य में व्यवसायों की गतिविधि से संबंधित होते हैं या उनमें रूचि रखते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं या इसके विपरीत होता है। किसी व्यवसाय के हितधारकों में विशेषकर उसके निवेशक, शेयरधारक, कर्मचारी और श्रमिक (और उनके परिवार) , ग्राहक, समुदाय, मूल्य श्रृंखला सदस्य और अन्य व्यावसायिक भागीदार, विनियामक, सिविल समाज के प्रमुख लोग और मीडिया शामिल होते हैं, लेकिन वे उन तक सीमित नहीं हैं। 2. शिकायत निवारण तंत्र एक ऐसे तंत्र की बात करता है जिसमें किसी अन्य न्यायिक या प्रशासनिक उपायों तक बाधक बने बिना, किसी भी हितधारक के वैयक्तिक या सामूहिक रूप से, उन्हें प्रभावित करने वाली यथोचित चिंताओं को उठाने और सुलझाने की व्यवस्था हो । तंत्र ऐसा होना चाहिए: पारदर्शी और निष्पक्ष शासन ढांचा पहुंच सुलभ वार्ता और मध्यस्थता पर आधारित 3. किसी संगठन की मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल को मूल्य जोड़ कर तैयार माल में बदलने सहित संगठन की सभी ऊर्ध्वगामी और अनुप्रवाही गतिविधियां शामिल होती हैं । इसमें वे संस्थाएं शामिल हैं जिनके साथ संगठन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंध है और (a) जो या तो ऐसे उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति करती हैं जो संगठन के अपने उत्पादों या सेवाओं में योगदान देते हैं, या (b) संगठन से उत्पाद या सेवाएं प्राप्त करती हैं।

24	संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और वहनीयता मामलों की समीक्षा	1. राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण दिशा निर्देश के अनुसार वहनीयता की परिभाषा है व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों में संतुलन से प्राप्त परिणाम। यह ऐसी प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि इन तीन तत्वों में से किसी से भी समझौता किए बिना व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जाये । 2. इस खंड के अंतर्गत संस्था उन पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित कंपनी के जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और वहनीयता मामलों की निम्नलिखित के साथ जानकारी देगी जो उनके व्यवसाय के लिये जोखिम या अवसर प्रदान करते हैं : जोखिम/अवसर का वर्गीकरण पर्यावरण या सामाजिक के रूप में करें और उसका विवरण दें । उदाहरण के लिए, मौसम में बदलाव से पैदा होने वाले खतरों में परिचालन , कर्मचारियों का स्वास्थ्य, उत्पादों या सेवाओं के लिए मांग आदि पर प्रभाव शामिल हो सकता है। मौसम में बदलाव से पैदा होने वाले अवसरों में संसाधन दक्षता से लागत में कमी , नए उत्पादों का विकास और सेवाएं, नए बाजारों तक पहुंच आदि शामिल हो सकते हैं । • जोखिम की पहचान का आधार , जिसमें जोखिम या अवसर से जुड़े प्रभाव का विवरण शामिल हो सकता है। • पहचाने गए जोखिम के मामले में जोखिम को कम करने या उसके अनुकूल ढ़लने का दृष्टिकोण, कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर ऐसे जोखिम या अवसर के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बतायें । कम्पनी इस संबंध में गुणात्मक जानकारी दे और किसी अग्रगामी मात्रात्मक सूचना को शामिल नहीं करे। हालांकि, पहले के वर्षों के मामले में प्रभाव को मात्रात्मक संदर्भ में बताया जा सकता है। संस्था मापदंडों पर प्रभाव पर विचार कर सकती है जैसे कि उत्पादों एवं सेवाओं की मांग /पूंजी या परिचालनात्मक लागत /निवेश के अवसर आदि ।

खंड B:

प्रबंधन और प्रक्रिया की जानकारी

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
5, 6	संस्था द्वारा व्यक्त की गई विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, साथ ही कामकाज का प्रदर्शन, यदि कोई हो तो ।	11. संस्था की किसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य या लक्ष्य हैं, तो वह उनकी जानकारी इस मद के अंतर्गत दे सकती है। ऐसी जानकारी में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं : • उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए आधार-रेखा और संदर्भ। • शामिल संस्थाएं जैसे कि सहायक/ संबद्ध / संयुक्त उद्यम/ मूल्य श्रृंखला भागीदार • मात्रात्मक या गुणात्मक संदर्भ में अपेक्षित परिणाम या निष्कर्ष • प्रत्येक उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समयसीमा • उद्देश्य और लक्ष्य अनिवार्य (कानून पर आधारित) हैं या स्वैच्छिक । यदि वे अनिवार्य हैं , तो संगठन को संबन्धित कानून को सूचीबद्ध करना चाहिए। संस्था प्रत्येक उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किये गये कार्यों की जानकारी दे। । समय सीमा को लेकर उद्देश्यों में कोई बदलाव, किसी उद्देश्य की आंशिक प्राप्ति या प्राप्ति में विलंब को विशेष रूप से और जहां तक संभव हो, कारणों के साथ दर्शाया जाये । 3. संस्था को इस जानकारी के लिए तालिका के प्रारूप का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सिद्धांत के लिए मुद्दों को जारी प्रारूप में शामिल किया जा सकता है।
7	ईएसजी मामलों पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट के प्रभारी निदेशक का वक्तव्य	11. सूचीबद्ध संस्था उस निदेशक के वक्तव्य को शामिल करे जो उस रिपोर्ट को बनाने का प्रभारी है, जिसमें संगठन के लिए वहनीयता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया हो। । ऐसे वक्तव्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: उन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों जो संगठन पैदा करता है, योगदान देता है, या जो उसकी गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं से सीधे जुड़े हुए हैं, का प्रबंधन करने के संबंध में संगठन का लघु, मध्यमऔर दीर्घ अवधि के लिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण और रणनीति। • वहनीयता के परिप्रेक्ष्य में लघु और मध्यम अवधि के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं और प्रमुख विषय। • वहनीयता से जुड़ी संस्था की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां । • सूचना की अवधि के दौरान प्रमुख कार्यक्रम, उपलब्धियां और विफलताएं। • लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य निष्पादन पर विचार • संगठन की प्रमुख चुनौतियों और लक्ष्यों पर दृष्टिकोण • संगठन के रणनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा कोई अन्य विषय 2. सूचीबद्ध संस्था इस जानकारी को रिपोर्ट के प्रारंभ में या खंड B के अधीन रख सकती है।
8	व्यावसायिक दायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण का प्रभारी सर्वोच्च प्राधिकार	1. खंड B के प्रश्न 1 में उल्लेख की गई नीतियों के लिए, संस्था अपने संगठन के उस सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी का नाम बताए जिस पर उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है और उस सर्वोच्च प्राधिकारी का नाम भी बताये जिस पर उनके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। ऐसा प्राधिकारी बोर्ड का कोई निदेशक, बोर्ड की समिति, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक या कर्मचारियों की एक समिति हो सकती है। 2. यदि कोई समिति सर्वोच्च प्राधिकारी है तब समिति की संरचना की जानकारी दी जाए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : व्यक्तियों का नाम, पदनाम, और निदेशक के मामले में, DIN और श्रेणी (अध्यक्ष/ईडी/एनईडी/आईडी)। 3. यदि समिति सर्वोच्च प्राधिकारी है, तो समिति के गठन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये, जैसे व्यक्ति का नाम, पदनाम, और निदेशक के मामले में, डीआईएन और श्रेणी (अध्यक्ष/ईडी/एनईडी/आईडी) बतानी होगी । 4. यदि, अलग-अलग नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी जिम्मेदार हैं, तो इसे भी दर्शाया जाए।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
9	क्या वहनीयता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी बोर्ड की एक विशेष समिति / निदेशक पर है ? (हां/नहीं)	1. संस्था 'हां' दर्शाएगी यदि उसके पास बोर्ड की एक विनिर्दिष्ट समिति या संस्था के बोर्ड का एक निदेशक है जिस पर वहनीयता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी है। 2. यदि बोर्ड की एक समिति की जिम्मेदारी है, तो इसकी संरचना की जानकारी दी जाए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों : व्यक्ति का नाम, पदनाम, और निदेशक के मामले में, डीआईएन और श्रेणी (अध्यक्ष/ईडी/एनईडी/आईडी)। यदि निदेशक की जिम्मेदारी है तो डीआईएन और श्रेणी (अध्यक्ष/ईडी/एनईडी/आईडी) की जानकारी दी जाए। 3. यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 8 के उत्तर के समान है, तो संस्था को अपना उत्तर दोहराने की आवश्यकता नहीं है और वह इसका संदर्भ दे सकती है।

खंड c:

कार्य निष्पादन की सिद्धांतवार जानकारी

सिद्धांत 1

व्यवसायों को अपना आचरण और काम काज ईमानदारीपूर्वक करना चाहिए और यह नीतिपरक, पारदर्शी और जवाबदेह हो।

आवश्यक संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
2	जुर्माना/ हरजाना /सजा/ फैसला / कंपाउंडिंग ल्क/समझौता राशि का विवरण	इसके अंतर्गत संस्था महत्व के आधार पर जानकारी दे जैसा कि सेबी (दायित्वों का सूचीकरण और दायित्वों का प्रकटन) विनियमन, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि संस्था की वेबसाइट पर दिखाया गया है।
4	भ्रष्टाचार रोधी या रिश्वत रोधी नीति का विवरण	भ्रष्टाचार रोधी या रिश्वत रोधी नीति की जानकारी में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं : • जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाएं और आंतरिक नियंत्रण • रिश्वत/भ्रष्टाचार पर शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र • भ्रष्टाचार – रोधी मामलों पर प्रशिक्षणों की सूचना
नेतृत्व संकेतक		
प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
2	बोर्ड/ केएमपी के सदस्यों में हितों का टकराव रोकने/ संभालने के लिए प्रक्रियाएं	1. हितों का टकराव ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अपने निजी हितों की आवश्यकताओं के बीच चुनने की स्थिति में आ खड़ा होता है। 2. संस्था बतायेगी कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं कि बोर्ड/ केएमपी के सदस्यों के बीच हितों के टकराव को रोका/संभाला जा सकता है। साथ ही ऐसी प्रक्रियाओं के विवरण भी दें।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को इस तरीके से माल तथा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए कि वे टिकाउ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
2	वहनीय खरीद	1."वहनीय खरीद"में आपूर्तिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में सामाजिक, नीतिपरक और पर्यावरणीय निष्पादन कारकों के अनिवार्य रूप से एकीकरण की बात है। 2. इस विषय के अंतर्गत, संस्था यह दर्शाएगी कि उसके कच्चे माल (मात्रा या मूल्य द्वारा – कृपया विनिर्दिष्ट करें) का कितना अनुपात ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से लिया गया है जो या तो कम्पनी के वहनीय खरीद कार्यक्रमों में शामिल हैं और/या सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों जैसे एस ए 8000, आई एस ओ 14001, ओ एच एस ए एस 18001 या संगत लेबल जैसे रेनफॉरेस्ट एलाइंस, रगमार्क , आरएसपीओ आदि के अनुरूप होने के लिए प्रमाणित है।
3	उपयोग की अवधि खत्म होने पर उत्पादों के पुनरूपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान के लिए उन्हें फिर से प्राप्त करने की प्रक्रियाएं	1. पुन: प्राप्त करने का अर्थ वस्तुओं के उपयोग की अवधि समाप्त होने के बाद पुनरुपयोग, या पुनर्चक्रण या सुरक्षित निपटान के लिए उत्पादों और उनकी पैकेजिंग सामग्रियों को एकत्र करने से है। पुन: प्राप्त करने वाली वस्तुओं मे वे उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्रियां शामिल हो सकती हैं जिन्हें तीसरे पक्ष के ठेकेदार ने , संगठन द्वारा या उसकी ओर से एकत्र किया हो । 2. पुनरूपयोग के लिए तैयारी का अर्थ है जांच, सफाई या मरम्मत प्रक्रिया जिनसे उत्पाद या उत्पादों के घटक बनाए जाते हैं ताकि उनका उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके जिसके लिए उनकी कल्पना की गई थी । 3. पुनर्चक्रण का अर्थ नई सामग्रियां बनाने के लिए उत्पादों या उत्पादों के घटकों को फिर से प्रसंस्करित करने से है। 4. निपटान का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति नहीं होती । इसके अलावा, सुरक्षित निपटान में अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान जैसे कि खुले में जलाना और मलबा फेंकना शामिल नहीं है।

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
4	विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (ईपीआर) योजना	"उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी"का अर्थ उत्पाद के उपयोग की अवधि समाप्त होने तक पर्यावरणीय रूप से उसके सही प्रबंधन की उत्पादक की जिम्मेदारी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी के लिए एक समान ढांचा, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों पर उनके उत्पादों के कारण उत्सर्जित प्लास्टिक कचरे को वापस एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के और ऐसे एकत्रीकरण के लिए संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोर्डों) को एक योजना सौंपने की जिम्मेदारी देता है (विवरण इस लिंक पर उपलब्ध हैं http://moef.gov.in/guideline-document-uniform-framework-for-extended-producers-responsibility-under-plastic-waste-management-rules-2016/)।

नेतृत्व संकेतक

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
1	जीवन चक्र आकलन	1. उत्पाद जीवन चक्र का आशय उत्पाद के सभी चरणों निर्माण और प्रसंस्करण के माध्यम से कच्चे माल का निष्कर्षण या अधिग्रहण, वितरण और परिवहन, उपयोग और पुनरूपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान से है । सेवाओं के मामले में डिजाइन से आपूर्ति तक सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं से है। 2. जीवन चक्र आकलन एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद या सेवा का, उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान पड़ने वाले संभावित पर्यावरण या सामाजिक प्रभावों का आकलन शामिल है। । 3. एलसीए की सीमा का संबंध उस क्षेत्र से है जिसके लिए मूल्यांकन किया गया था। उदाहरण के लिए, उत्पादों के मामले में, एलसीए की सीमा निम्नलिखित हो सकती है: जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्पाद का पूर्ण जीवन चक्र आकलन जिसमें संसाधन निष्कर्षण (जन्म) से लेकर उपयोग का चरण और निपटान चरण (मृत्यु) तक शामिल है। जन्म-से-जन्म तक एक विशेष प्रकार का जन्म से मृत्यु तक का मूल्यांकन है जहां उत्पाद के लिए जीवन के अंत का अंतिम चरण पुनर्चक्रण प्रक्रिया है। जन्म से बाल्यावस्था उत्पाद के जीवन चक्र का आंशिक आकलन है -संसाधन निष्कर्षण (जन्म) से फैक्ट्री गेट(यानि इसे ग्राहक तक पहुंचाने से पहले) तक।

4	कुल कच्चे माल के प्रतिशत के तौर पर पुनर्चक्रित या पुन: उपयोग किया गया कच्चा माल	कच्चे माल की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुन: उपयोग किये गये और पुनर्चक्रित कच्चे माल के प्रतिशत की गणना (पुनर्चक्रित+ पुनर्उपयोग किये गये कुल कच्चे माल का उपयोग) *100) को (संस्था के उत्पादों का निर्माण करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किये गये कच्चा माल) से भाग देकर की जा सकती है। संस्था इस विषय की गणना के लिए सामग्रियों के कुल वजन या कुल मात्रा का उपयोग कर सकती है।
6	प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)	संस्था निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए उत्पादों और उनकी पैकेजिंग सामग्रियों के प्रतिशत की गणना करेगी : अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार उत्पादों और उनकी पैकेजिंग सामग्रियों का प्रतिशत= (सूचना अवधि के दौरान अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्रियां) / (सूचना अवधि के दौरान बेचे गए उत्पाद)

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखला में शामिल लोगों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
1	कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के उपाय	यदि संस्था इस मद में बताये गये लाभ के अतिरिक्त किसी लाभ के बारे में बताना चाहती है तो इसके लिये अतिरिक्त कॉलम जोड़ा जा सकता है
3	कार्यस्थलों तक आसान पहुंच	आसान पहुंच का आशय दैहिक पहुंच से है जैसे कि व्हीलचेयर रैम्प, ब्रेल संकेतक और आसानी से पहुंचे जा सकने वाले शौचालय युक्त विश्राम कक्ष और डिजिटल पहुंच , जहां सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी सभी की पहुंच में है और / या सहायक प्रौद्योगिकी यंत्रों के अनुरूप है।
5	पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों / श्रमिकों की काम पर लौटने और नौकरी में बने रहने की दर	1. पैतृक अवकाश से आशय मातृत्व और पितृत्व अवकाश है।

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
		2. संस्था प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी के कार्य पर लौटने की दर की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करे (पुरूष / स्त्री / अन्य) : (सूचना अवधि में पैतृक अवकाश के बाद कार्य पर लौटे कर्मचारियों की कुल संख्या * 100)/ (सूचना अवधि में पैतृक अवकाश लेने के बाद जिन कर्मचारियों को काम पर लौटना था, उनकी कुल संख्या = कार्य पर लौटने की दर 3. नौकरी में बने रहने की दर निर्धारित करती है कि पैतृक अवकाश के समाप्त होने के बाद कितने कर्मचारी काम पर लौटे और 12 माह बाद भी नियोजित थे। इसकी निम्नलिखित सूत्र के उपयोग द्वारा गणना की जाए: (पैतृक अवकाश की अवधि के बाद काम पर लौटने के 12 माह बाद नौकरी में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या * 100)/ (सूचना अवधि से पूर्व पैतृक अवकाश से लौटने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या)
8	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों और कौशल उन्नयन पर कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण	1. स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर प्रशिक्षण में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर सामान्य प्रशिक्षण के साथ विशिष्ट कार्य-संबंधी जोखिम, खतरनाक गतिविधियां, या खतरनाक परिस्थितियों के लिये प्रशिक्षण को शामिल किया जा सकता है । इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण भी शामिल हो सकता है। 2. कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आंतरिक प्रशिक्षण और बाहरी प्रशिक्षण या शिक्षा के लिए वित्तपोषण शामिल हो सकता है।
9	कर्मचारियों और श्रमिकों को दी गई कार्य निष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरण	नियमित कार्य निष्पादन और करियर विकास समीक्षा का आशय ऐसी समीक्षा से है जिसके मापदंड कर्मचारी / श्रमिक और उसके वरिष्ठजन को पता है। ऐसी समीक्षा कर्मचारी की जानकारी में की जाती है।
10	स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	1. व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जोखिम का अर्थ कार्य – संबंधी खतरनाक परिस्थिति या जोखिम के घटित होने की संभाव्यता और परिस्थिति या जोखिम द्वारा लगने वाली चोट या बीमारी की गंभीरता दोनों से है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली ऐसे जोखिमों के प्रबंधन की ओर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है।

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
10		2. सूचीबद्ध संस्था कार्य- संबंधी जोखिमों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दे और नियमित तथा अनियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करे। कार्य-संबंधी जोखिमों का संबंध चोट या अस्वस्थ करने की क्षमता वाले स्रोत या स्थिति से है।
11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	1. सूचीबद्ध संस्था निम्नलिखित रूप में लॉस्ट टाइम इंजुरी रेट (एलटीआईएफआर) की गणना करे: (वित्तवर्ष में लॉस्ट टाइम इंजुरी की संख्या x 1,000,000) / (उसी वित्त वर्ष में सारे स्टाफ द्वारा किए गए काम के कुल घंटे) 2. समय की हानि या लॉस्ट टाइम कार्य के दौरान चोट या अस्वस्थता के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लिए उत्पादकता की हानि का संकेतक है। कार्य संबंधी चोट और अस्वस्थता कार्य पर जोखिम की स्थिति को उजागर करती है और काम काज से जुड़े कार्यों के निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है । 3. रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता के कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है : मृत्यु, कार्य से कई दिन दूर रहना, सीमित कार्य या दूसरे कार्य में स्थानांतरण, प्राथमिक चिकित्सा से परे चिकित्सीय उपचार, या बेहोशी। इस जानकारी के अधीन सूचीबद्ध संस्था, सूचना अवधि और उससे पहले के वर्ष के दौरान सभी घटनाओं में कार्य संबंधी चोटों या अस्वस्थता का शिकार हुए कर्मचारियों / श्रमिकों की कुल संख्या की जानकारी देगी । यदि वही कर्मचारी या श्रमिक अलग-अलग घटनाओं में अनेक बार चोटिल हो जाता है, मान लीजिए 3 बार, तब इसकी रिपोर्ट 3 के समान दी जाएगी। 4. संस्था कार्य संबंधी चोट के फलस्वरूप सूचना वर्ष और उससे पहले के वर्ष के दौरान कर्मचारियों / श्रमिकों की मौतों की संख्या की जानकारी दे। 5. उच्च जोखिम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता ऐसी चोट में बदल जाती है जिससे कर्मचारी/ श्रमिक के पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने स्वास्थ्य की पिछली स्थिति में लौट जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती/ नहीं की जाती है। इस जानकारी में मौत के मामले शामिल नहीं होंगे।

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
12	सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपाय	1. इस जानकारी के अंतर्गत संस्था उसके परिचालन , उत्पादों या सेवाओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों को खत्म करने या कम करने के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट देगी। यह भी बताए कि क्या ये उपाय संस्था की कुछ विशेष गतिविधियों कर्मचारियों / श्रमिकों या संयंत्रों के लिए किए गए हैं।

नेतृत्व संकेतक

प्र.सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
3	कर्मचारियों / श्रमिकों का पुनर्वास और उपयुक्त नियोजन	1. सूचीबद्ध संस्था सूचना अवधि के दौरान उच्च जोखिम वाली चोटों / अस्वस्थता से प्रभावित होने कर्मचारियों / श्रमिकों में से उपयुक्त रोजगार में पुनर्वासित या नियोजित किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या की जानकारी दे। इस जानकारी में प्रभावित कर्मचारियों/ श्रमिकों के पारिवार के वे सदस्य शामिल किए जा सकते हैं जिन्हें उपयुक्त रोजगार में नियोजित किया गया है। 2. पुनर्वास का संबंध उस प्रक्रिया से है जिसका लक्ष्य अक्षमता युक्त व्यक्तियों को अधिकतम, शारीरिक , संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण या सामाजिक कार्य स्तरों को प्राप्त करने और बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
1	प्रमुख हितधारकों की पहचान के लिए प्रक्रिया	इसके अंतर्गत, संस्था हितधारकों के निर्धारण का आधार और उन समूहों के निर्धारण का आधार बतायेगी जिसके साथ काम करना है या नहीं करना है।
2	प्रमुख हितधारक समूह	1. सूचीबद्ध संस्था उन माध्यमों को स्पष्ट करे जिनके माध्यम से हितधारक संबन्धित सूचना तक पहुंच सकें और यदि लागू हो तो, बताये कि क्या यह सूचना क्षेत्रीय / स्थानीय भाषा में उपलब्ध है। 2. अतिसंवेदनशील और सीमांत समूहों से आशय व्यक्तियों के उस समूह से है जो प्रतिकूल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक या स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण अपने अधिकारों को प्राप्त करने या अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। भारत में इन समूहों को अन्य बातों के साथ ही निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है : लिंग और ट्रांसजेंडर (महिला, लड़कियां और अन्य) • आयु (बच्चे, वयोवृद्ध और अन्य) • वंश / पहचान / जातीयता (जाति, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य) • व्यवसाय (विस्थापित, भूमिहीन छोटे / सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक, और अन्य) • दिव्यांगजन • राजनीतिक या धार्मिक आस्थाएं (संदर्भ : राष्ट्रीय उत्तरदायी कारोबार संचालन के दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं : https://www.mca.gov.in/ministry/pdf/NationalGuideline_-15032019.pdf)

नेतृत्व संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
2	पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श लेना	संस्था यह बता सकती है कि क्या हितधारकों री के नियोजन का उपयोग पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए किया गया है। यदि ऐसा है, तब संस्था उन प्रमुख चिंताओं को बता सकती है जिन्हें हितधारक नियोजन के माध्यम से उठाया गया है और किस प्रकार संगठन ने इस चिंता पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें अपनी नीतियों या गतिविधियों में बदलाव या संशोधन शामिल हैं। प्रत्येक चिंता के लिए संस्था को उस हितधारक समूह का उल्लेख करना चाहिए जिसने चिंता जाहिर की है।
3	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों की चिंताओं के समाधान के लिए नियोजन के उदाहरण और की गई कार्रवाइयों का विवरण	संस्था प्रमुख चिंताओं को प्रकट कर सकती है जिन्हें कमजोर / हाशिए पर पड़े समूहों के साथ नियोजन के माध्यम से उठाया गया है और संगठन ने इस चिंता पर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें अपनी नीतियों या गतिविधियों में बदलाव या संशोधन शामिल हैं।

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

प्र. सं..	विषय	निर्देश / दिशा निर्देश
1	मानवाधिकार मामलों और नीतियों पर प्रशिक्षण	कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए मानवाधिकार मामलों और नीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधिकारों के वे पहलू शामिल हो सकते हैं जो परिचालन से जुड़े हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों/ श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में मानवाधिकार नीतियों या प्रक्रियाओं की प्रयोजनीयता शामिल है।

प्र. सं..	विषय	निर्देश / दिशा निर्देश
3	पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का विवरण (दिव्यांग सहित)	1. पारिश्रमिक : कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 2(78) के अनुसार पारिश्रमिक का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके द्वारा दी गई या जारी की गई सेवाओं के लिए कोई राशि या उसके समकक्ष और इसमें आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत परिभाषित अनुलाभ । संदर्भ : http://ebook.mca.gov.in/default.aspx 2. वेतन : आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वेतन में शामिल है : i. मजदूरी ii. वार्षिक वृत्ति या पेंशन iii. ग्रैच्यूटी iv. वेतन या मजदूरी के बदले या इसके अतिरिक्त कोई शुल्क, कमीशन, अनुलाभ या लाभ। v. वेतन की अग्रिम राशि vi. किसी मान्यता प्राप्त भविष्य-निधि में शामिल एक कर्मचारी के खाते में शेष राशि की वार्षिक अभिवृद्धि इस सीमा तक हो कि वह चौथी अनुसूची के भाग'A 'के नियम 6 के अंतर्गत कर योग्य हो ; और vii. किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि कोष में शामिल उप-नियम (4) के अंतर्गत कर योग्य राशि वाले किसी कर्मचारी के खाते में हस्तांतरित शेष राशि, जैसा कि चौथी अनुसूची के भाग A के नियम II के उप-नियम (2) में संदर्भित है, में शामिल सभी योग का कुल योग संदर्भ – https://www.incometaxindia.gov.in/Acts/Income-tax%20Act,%201961/1968/10210000002035669.htm
		3. मजदूरी : वेतन संहिता 2019, की धारा 2(y) के अनुसार, मजदूरी का अर्थ है सभी पारिश्रमिक चाहे वह वेतन, भत्ते हों या अन्य, जिसे धन के संदर्भ में व्यक्त किया गया है या इस प्रकार व्यक्त करने में सक्षम है जो रोजगार की शर्तें, व्यक्त या निहित, पूरी होने पर, उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे रोजगार में नियोजित किया गया है या जिसने ऐसे रोजगार में काम किया है, और इसमें शामिल है i. मूल वेतन ii. महंगाई भत्ता iii. प्रतिधारक भत्ता, यदि कोई है तो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है a वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अधीन देय कोई बोनस, जो रोजगार की शर्तों के अंतर्गत देय पारिश्रमिक का भाग नहीं बनता। b किसी भी आवास या बिजली, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा उपस्थिति या अन्य सुविधा या उपयुक्त सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी के निर्धारण से बाहर किसी सेवा का मूल्य

		c किसी पेंशन या भविष्य–निधि में नियोक्ता द्वारा किया गया कोई योगदान और उस पर लगाया गया कोई भी ब्याज। d कोई परिवहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य e नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति द्वारा उस पर किए गए किसी विशेष व्यय की अदायगी के लिए उसे भुगतान की गई कोई राशि। f. मकान किराया भत्ता g. किसी पंचाट या पक्षों के बीच समझौते या एक न्यायालय या पीठ के आदेश के तहत देय पारिश्रमिक h. कोई ओवरटाइम भत्ता i. कर्मचारी को देय कोई कमीशन j. रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रैच्युटी k. कर्मचारी को देय कोई क्षतिपूर्ति या सेवानिवृत्ति लाभ या रोजगार की समाप्ति पर उसे दी गई कोई अनुग्रह राशि। बशर्ते कि, इस खंड के अंतर्गत मजदूरी की गणना के लिए यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को धारा (a) से (i) के अंतर्गत किया गया भुगतान आधे से अधिक, या ऐसे किसी अन्य प्रतिशत से अधिक है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गयाहै, तब इस नियम के अंतर्गत गणना किया गया सारा पारिश्रमिक, वह राशि जो इसके आधे से अधिक है या प्रतिशत जैसा कि अधिसूचित किया गया है, को पारिश्रमिक समझा जाए और इस नियम के अधीन मजदूरी में तदनुसार जोड़ा जाए। इसके आगे यह बताया गया कि सभी लिंग के लिए बराबर मजदूरी के उद्देश्य से और मजदूरी के भुगतान के उद्देश्य के लिए, नियम (d), (f), (g) और (h) में विनिर्दिष्ट परिलाभों पर मजदूरी की गणना की जाये ।
		व्याख्या : जहां एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसे देय मजदूरी के पूर्ण भाग या एक भाग के बदले में वस्तु के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है, वहां वस्तु के रूप में दिए गए ऐसे पारिश्रमिक जो उसे देय कुल मजदूरी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, को ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग माना जाएगा। संदर्भ – https://labour.gov.in/sites/default/files/THE%20CODE%200N%20WAGES%2C%202019%20No.%2029%20of%202019.pdf

प्र. सं..	विषय	निर्देश / दिशा निर्देश
6	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भेदभाव, बालश्रम, बलपूर्वक श्रम/ अनैच्छिक श्रम, वेतन या मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों का खुलासा	1. 'यौन उत्पीड़न' में निम्नलिखित अप्रिय कार्य या व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ) में से कोई एक या अधिक शामिल हैं, जैसे : i. शारीरिक संपर्क और प्रयास ii. यौन स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध iii. यौन संबंधी टिप्पणी करना iv. अश्लील साहित्य दिखाना v. यौन प्रकृति का कोई अन्य अप्रिय शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण 2. 'भेदभाव' का संबंध लोगों के अन्यायपूर्ण या गैरकानूनी व्यवहार से है, जो विशेषकर जाति, संप्रदाय , लिंग, नस्ल, जातीयता, , आयु, रंग,धर्म, अक्षमता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति या यौन अभिमुखीकरण के आधार पर होता है, लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं होता। 3. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून, 1986 (यथा संशोधित) के खंड 2(ii) के अनुसार 'बाल' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 14 वां वर्ष पूरा नहीं किया है। यह 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है और जहां ये निषेध नहीं हैं, वहां उनकी कार्य स्थितियों का विनियमन करता है । संदर्भ – https://labour.gov.in/sites/default/files/act3.pdf और https://labour.gov.in/whatsnew/child-labour-prohibition-and-regulation-amendment-act-2016 4. 'बलपूर्वक श्रम' या 'अनैच्छिक श्रम' का संबंध उन सभी कार्य या सेवाओं से है जो किसी तरह के दंड का भय दिखा कर कराये जाते हैं। इसमें बंधुआ मजदूर और आधुनिक दासता जैसे शब्द भी शामिल हैं। इसमें कोई भी ऐसा श्रम शामिल है जिसके लिए श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम राशि दी जाती है।

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और उसकी रक्षा और उसे बहाल करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
1	कुल ऊर्जा खपत और ऊर्जा की की गहनता का विवरण	11. संस्था, सूचना अवधि के दौरान कुल विद्युत खपत, अन्य स्रोतों से ईंधन खपत और ऊर्जा खपत की जानकारी दे। संस्थाएं अन्य स्रोतों को भी निर्दिष्ट कर सकती हैं , यदि वे महत्वपूर्ण हैं। 2. ऊर्जा को संगठन से बाहर के स्रोतों से खरीदा जा सकता है या स्वयं संगठन द्वारा उत्पादन किया जा सकता है (स्व उत्पादन)। यदि संगठन किसी गैर अक्षय या अक्षय ऊर्जा ईंधन स्रोत से विद्युत उत्पन्न करता है और फिर उत्पन्न बिजली की खपत करता है, तब ऊर्जा खपत को केवल एक बार गिना जाए। 3. उपर्युक्त डाटा को जूल या गीगा जूल जैसे गुणकों में बताया जाए। संस्थाओं को बताये गए डाटा के ईंधन खपत को जूल में परिवर्तित करने के लिए लगातार परिवर्तन कारक लागू करना चाहिए। यदि, भिन्न मानक और पद्धतियों का उपयोग किया जाता है तो इसे बताया जाना चाहिए। यह समझने के लिए कि किस प्रकार डाटा का संकलन किया गया है, संस्थाओं को किसी आवश्यक प्रासंगिक सूचना की भी जानकारी देनी चाहिए जैसे कि कोई मानक, पद्धतियां, अनुमान और/या उपयोग किए गए संगणन उपकरण। 4. प्रति रूपया कारोबार पर ऊर्जा गहनता की गणना खपत की गई कुल ऊर्जा को रूपयों में कुल कारोबार से भाग देकर की जा सकती है। 5. कारोबार के अलावा, संस्थाएं स्वेच्छा से अन्य मापों के आधार पर ऊर्जा गहनता अनुपात बता सकती हैं , जैसे कि: उत्पाद की इकाइयां; उत्पादन की मात्रा (जैसे कि मीट्रिक टन, लीटर, या मेगावाट घंटे); आकार (जैसे कि m2 फ्लोरस्पेस); पूर्ण-कालिक कर्मचारियों की संख्या

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
2	भारत सरकार की पीएटीयोजना	प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना ("योजना") राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू की गई है [विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं : https://beeindia.gov.in/content/pat-3]। योजना के अंतर्गत, कुछ स्थलों / सुविधाओं की पहचान नामित ग्राहकों के रूप में की गई है और ऊर्जा खपत के संबंध में ऐसी संस्थाओं के लिए लक्ष्य स्थापित किए गए हैं।
3	कुल निकाला गया पानी, खपत किया गया पानी और जल गहनता अनुपात का विवरण	1. संस्था पानी के स्रोत के ब्यौरे के साथ, किसी भी उपयोग के लिए निकाले गए कुल पानी की रिपोर्ट निम्नलिखित रूप में देगी : • सतह के जल का संबंध उस जल से है जो बर्फ की चादरें , हिम चोटी, हिमखंड , हिमशैल, दलदल, तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। • भू-जल का संबंध उस जल से है जो भूमिगत स्रोत में संचित है या जिसे निकाला जा सकता है। • तीसरे पक्ष के जल – का संबंध नगर निगम के जल और जल के अन्य निजी आपूर्तिकर्ताओं से है • समुद्र का पानी / नमक युक्त जल-का संबंध किसी समुद्र या सागर के जल से है। • अन्य स्रोत – संस्थाएं अन्य स्रोतों को विनिर्दिष्ट कर सकती हैं यदि वे महत्वपूर्ण हैं। 2. संस्था जल की कुल खपत की रिपोर्ट देगी। कुल जल खपत किसी संगठन द्वारा उपयोग किए गए जल का माप है जो कि पारिस्थितिकी या स्थानीय समुदाय द्वारा उपयोग के लिए भविष्य में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह जल जिसे निकाला गया और उत्पादों में समावेशित किया गया है या वाष्पीकृत हो गया है या इतना प्रदूषित हो गया है कि अन्य उपयोक्ताओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता और इसलिए दोबारा सतह जल, भूजल, समुद्री जल या किसी तीसरे पक्ष में वापिस नहीं छोड़ा गया है। इसमें वह जल भी शामिल है जिसे उपयोग के लिए या बाद की सूचना अवधि में छोड़ने के लिए सूचना अवधि के दौरान एकत्र किया गया है। यदि संस्था अपनी जल खपत को सीधा नहीं माप सकती, तब वह निम्नलिखित सूत्र के उपयोग द्वारा इसकी गणना कर सकती है: कुल जल खपत = निकाला गया कुल जल – छोड़ा गया कुल जल । 3. प्रति रूपया कारोबार की जल गहनता की गणना कुल जल खपत को कुल कारोबार किए गए रूपयों में से भाग देकर की जा सकती है।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
		4. व्यवसाय से अलग, संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर अन्य मैट्रिक्स में जल गहनता अनुपात प्रदान कर सकती है, जैसे कि: • उत्पाद की इकाई; • उत्पादन की मात्रा (जैसे कि मीट्रिक टन, लीटर, या मेगावाट घंटे); • आकार (जैसे कि m2 फ्लोर स्पेस); • पूर्ण-कालिक कर्मचारियों की संख्या 5. यह समझने के लिए कि किस प्रकार डाटा का संकलन किया गया है, संस्थाओं को कोई आवश्यक प्रासंगिक सूचना भी प्रकट करनी चाहिए जैसे कि कोई मानक, पद्धतियां, अनुमान और/या उपयोग किए गए गणना उपकरण।
4	शून्य तरल प्रवाह नीति	यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण में किसी अपशिष्ट जल का प्रवाह नहीं हुआ है, शून्य तरल प्रवाह नीति में अपशिष्ट – जल के पुनर्चक्रण, पुन: प्राप्त करने और फिर पुन: उपयोग के लिए उन्नत अपशिष्ट – जल शोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।
5	वायु उत्सर्जनों की जानकारी	यह समझने के लिए कि किस प्रकार डाटा का संकलन किया गया है, संस्थाओं को कोई आवश्यक प्रासंगिक सूचना प्रकट करनी चाहिए जैसे कि कोई मानक, पद्धतियां, अनुमान और / या उपयोग किए गए गणना उपकरण।
6	स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों और जीएचजी तीव्रता का विवरण	1. 'ग्रीन-हाउस गैस' शब्दावली में निम्नलिखित गैस शामिल हैं : • कार्बन डाईआक्साइड (CO2) • मीथेन (CH4) • नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) • हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCS) • परफ्लोरोकार्बन (PFCS) • सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) • नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड (NF3) 2. स्कोप 1 उत्सर्जन सीधे स्रोतों से जीएचजी उत्सर्जन है जो संस्था का है और उसके द्वारा नियंत्रित है । स्रोत से का आशय किसी भौतिक ईकाई या प्रक्रिया से है जो वातारण में जीएचजी छोड़ती है। इसके अलावा, कोई उत्सर्जन जो भौतिक रूप से नियंत्रित नहीं है बल्कि जीएचजी के इरादतन या गैर-इरादतन उत्सर्जनों के परिणामस्वरूप है जैसे कि उपकरण से रिसाव , मीथेन उत्सर्जन (उदाहरण – कोयला खदानों से) को भी गणना में शामिल करना चाहिए।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
		3. स्कोप 2 उत्सर्जन ऊर्जा का अप्रत्यक्ष उत्सर्जन है जो खरीदी गई या अधिग्रहण की गई बिजली के उत्पादन, तापन, शीतलन और संस्था द्वारा खपत की गई भाप के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप होता है। 4. संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जनों का ब्यौरा CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में प्रदान कर सकती हैं। 5. संस्था स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जनों की गणना से किसी जीएचजी व्यापार (जीएचजी उत्सर्जनों का क्रय, विक्रय या स्थानांतरण) को बाहर रख सकती है। 6. जानकारी देने के लिए यूनिट CO2 समकक्ष मीट्रिक टन होगी। इसके अलावा, संस्थाओं को मानकों, पद्धतियों, अनुमानों और/या उपयोग किए गए गणना उपकरणों की जानकारी देनी चाहिए, जिसमें वैश्विक गर्मी संभाव्यता (जीडब्ल्यूपी) दर और उपयोग किए गए उत्सर्जन कारकों के स्रोत शामिल हैं। 7. प्रति रूपया कारोबार पर स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन गहनता की गणना कुल उत्पन्न स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जनों को कुल कारोबार के रूपयों से भाग देकर की जा सकती है। 8. व्यवसाय के अतिरिक्त, संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर अन्य मीट्रिक्स में स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन गहनता अनुपात प्रदान कर सकती है; जैसे कि : • उत्पाद की इकाइयां • उत्पादन की मात्रा (जैसे कि मीट्रिक टन, लीटर या मेगावाट घंटे); • आकार (जैसे कि M2 फ्लोर स्पेस); • पूर्ण-कालिक कर्मचारियों की संख्या
8	उत्पन्न, पुनर्चक्रित एवं पुन: उपयोग किए और निपटान किए गए अपशिष्ट का विवरण	1. संस्था अपनी गतिविधियों से उत्पन्न कुल अपशिष्ट की रिपोर्ट देगी जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अनुसार ब्यौरा दिया जाए। 2. उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक संबंधित श्रेणी के लिए (प्लास्टिक, ई-कचरा, जैव-चिकित्सा कचरा, निर्माण और भवन गिराए जाने का मलबा, बैटरी कचरा, रेडियो- धर्मी कचरा, अन्य हानिकारक और अन्य गैर-हानिकारक कचरा) संस्था उस कचरे की रिपोर्ट देगी जिसे पुनर्चक्रण के माध्यम से प्राप्त किया गया है, पुन: उपयोग के लिए तैयार किया गया है या अन्य पुन: प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इन शर्तों के बारे में दिशा निर्देश नीचे दिये गये हैं :

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
		• कचरे को किसी भी प्रकिया द्वारा पुन: प्राप्त किया जा सकता है जिसमें उत्पाद, उत्पादों के घटक, या सामग्रियां जो कचरा बन चुकी हैं को नए उत्पादों, घटकों , या सामग्रियों के स्थान पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें अन्यथा उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता। पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की तैयारी पुन: प्राप्ति के कार्यों के उदाहरण हैं। • पुन: उपयोग की तैयारी का अर्थ है जांच, सफाई या मरम्मत के कार्य जिनसे कचरा बन गए उत्पाद या उत्पादों के घटक को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाने के लिए तैयार किया गया है जिनके लिए उन पर विचार किया गया था। • पुनर्चक्रण का संबंध उत्पादों या उत्पादों के घटकों के पुन: प्रसंस्करण से है जो नई सामग्रियां बनाने के लिए कचरा बन गई हैं। 3. उत्पन्न कचरे की प्रत्येक संबंधित श्रेणी के लिए (प्लास्टिक, ई-कचरा, जैव-चिकित्सा कचरा, निर्माण और भवन गिराए जाने का मलबा, बैटरी कचरा, रेडियो- धर्मी कचरा, अन्य हानिकारक और अन्य गैर-हानिकारक कचरा) संस्थानिपटान किये गये कचरे की जानकारी दे जिसमें प्रत्येक की निपटान विधि का ब्यौरा निम्न रूप में दिया जाये: • कचरा जिसे भस्म किया गया है – भस्मीकरण का अर्थ उच्च तापमान पर कचरे को नियंत्रित जलाने से है। • वह कचरा जिसे भराव क्षेत्र में भेजा जाता है – भराव क्षेत्र भेजने का अर्थ कचरे को सैनिटरी भराव क्षेत्र में डालने से है और इसमें अनियंत्रित कचरा निपटान जैसे कि खुले में जलाना और डालना शामिल नहीं है। • अन्य निपटान कार्य: संस्थाएं अमल में लाई गई अन्य निपटान प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें यदि वे महत्वपूर्ण हैं। 4. डाटा को समझने के लिए संस्थाओं को आवश्यक किसी प्रासंगिक सूचना की जानकारी देनी चाहिए जैसे कि कोई मानक, पद्धतियां, अनुमान और / या उपयोग किए गए गणना उपकरण।
9	कचरा प्रबंधन कार्यों का विवरण	1. इस विषय के अंतर्गत संस्था उन गतिविधियों के विवरण को शामिल करने पर विचार कर सकती है जिनके फलस्वरूप कचरा संबंधी बड़ा प्रभाव पड़ता है और ऐसे कचरे से होने वाले प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए की गई कार्रवाई। ऐसी कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं : • सामग्रियों का चयन और उत्पाद डिजाइन में सुधार करना • पुनर्चक्रित, पुन: उपयोग की गई या नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग करना हानिकारक प्रवृत्ति वाले कच्चे माल के स्थान पर गैर हानिकारक कच्चे माल का उपयोग करना 2. यदि संगठन की अपनी गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रबंधन किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, तो संस्था उन प्रक्रियाओं के विवरण को शामिल करने पर विचार कर सकती है जिनसे यह तय किया जा सके कि तीसरा पक्ष ठेकागत या कानूनी बाध्यताओं के अनुसार कचरे का प्रबंधन करता है या नहीं ।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
11.	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) का विवरण	संस्था ने यदि लागू पर्यावरणीय कानूनों के अनुरूप ईआईए का जिम्मा लिया है, तभी यह जानकारी दी जाये।

नेतृत्व संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
1	अक्षय और गैर-अक्षय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा का ब्यौरा	1. इस विषय के अंतर्गत, संस्था अक्षय और गैर-अक्षय स्रोतों से बिजली, ईंधन और अन्य ऊर्जा खपत (संदर्भ : सिद्धांत 6, आवश्यक प्रश्न 1) का ब्यौरा प्रदान करे। 2. गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिन्हें पारिस्थितिक चक्र या कृषि प्रक्रियाओं के माध्यम से थोड़े समय में पुन: पूर्ति पुनरूत्पादन, तैयार या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इनमें पेट्रोलियम या कच्चे तेल से प्रसंस्कृत ईंधन जैसे कि गैसोलीन, डीजल ईंधन, जेट ईंधन और गर्म करने वाला तेल; प्राकृतिक गैस, जैसे कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीनजी), और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से निकाला गया ईंधन जैसे कि ब्यूटेन, प्रोपेन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी); कोयला; और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
2	छोड़े गए पानी का विवरण	1. संस्था छोड़े गए कुल पानी की रिपोर्ट देगी यानि, कुल बहि:स्राव , छोड़ा गया पानी (अप्रयुक्त या उपयोग के बाद) जिसकी संगठन को भविष्य में आवश्यकता नहीं है, और साथ ही गंतव्य (सतह का जल, भू-जल, समुद्री जल, तीसरे पक्षों या अन्य को भेजा गया पानी - सिद्धांत 6 के आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 3 के दिशानिर्देश का संदर्भ लें) और शोधन के स्तर का ब्यौरा दें। 2. संगठन निम्नलिखित शोधन स्तरों द्वारा अपने जल निर्वहन को कम कर सकता है : • प्रारंभिक शोधन , जिसका उद्देश्य उन ठोस वस्तुओं को हटाना है जो पानी की सतह पर जम जाती हैं या तैरती रहती हैं; • द्वितीय शोधन , जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं और सामग्रियों को हटाना है जो पानी में रह गई हैं या उसमें घुल गई हैं या तैर रही हैं; • तृतीय शोधन , जिसका उद्देश्य पानी को प्रवाहित करने से पूर्व गुणवत्ता के एक और स्तर ऊपर तक पहुंचाना है। इसमें वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो उदाहरण के लिए भारी धातु, नाइट्रोजन और फॉसफोरस को हटाती हैं। यदि कोई संगठन अच्छी गुणवत्ता वाले जल को निकालता है और प्रवाहित करता है जिसे शोधन की आवश्यकता नहीं है तो इसे बताया जा सकता है। 3. संस्थाओं को डाटा को समझने के लिए किसी आवश्यक प्रासंगिक सूचना की जानकारी देनी चाहिए जैसे कि मानक, पद्धतियां, अनुमान और / या उपयोग किए गए गणना उपकरण।
3	पानी की कमी वाले क्षेत्रों में निकाले गए, उपयोग किये गये और छोड़े गये कुल पानी का विवरण	पानी की कमी के क्षेत्र वे हैं जहां पानी की मानवीय और पारिस्थितिक मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसका आशय जल की उपलब्धता, गुणवत्ता या जल की अभिगम्यता से हो सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा "अत्यधिक दोहन "या "संकटपूर्ण "के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में डाला जाना चाहिए। (संदर्भ : http://cgwb.gov.in/gwresource.html). संस्था सिद्धांत 6 में आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 3 और नेतृत्व संकेतकों के प्रश्न2 दिशा निर्देश का भी संदर्भ ले सकती है।

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
4	स्कोप 3 उत्सर्जन	1. स्कोप 3 उत्सर्जन अप्रत्यक्ष जीएचजी उत्सर्जन हैं (ऊर्जा अप्रत्यक्ष (स्कोप 2) जीएचजी उत्सर्जनों में शामिल नहीं) जो संगठन के बाहर घटित होते हैं, जिसमें उर्ध्वप्रवाही और अनुप्रवाही उत्सर्जन दोनों शामिल हैं। 2. उर्ध्वप्रवाही श्रेणियों में खरीदा गया माल तथा सेवाएं, पूंजीगत माल, ऊपरगामी परिवहन और वितरण, व्यवसाय यात्रा, आदि शामिल हो सकते हैं। अनुप्रवाही श्रेणियों में अनुप्रवाही परिवहन और वितरण, बिके हुए उत्पादों का प्रसंस्करण, बिके हुए उत्पादों के उपयोग की अवधि समाप्ति पर प्रबंध आदि शामिल हो सकते हैं। 3. संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर स्कोप 3 उत्सर्जनों का Co2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6,NF3 में ब्यौरा प्रदान कर सकती हैं। 4. संस्था स्कोप 3 जीएचजी उत्सर्जनों की गणना से जीएचजी व्यापार (क्रय, विक्रय या जीएचजी उत्सर्जनों का हस्तांतरण) को बाहर रखेगी। 5. जानकारी देने के लिए इकाई Co2 समकक्ष मीट्रिक टन होगी। संस्थाओं को बताये गए डाटा के लिए उपयोग की गई वैश्विक तापन क्षमता (जी डब्ल्यू जी) दरों और उत्सर्जन कारकों को लगातार लागू करना चाहिए और दरों/कारकों के स्रोत भी बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्थाओं को मानकों, पद्धतियों,अनुमानों और/या उपयोग किये गये गणना उपकरणों की जानकारी देनी चाहिए जिसमें वैश्विक तापन क्षमता (जी डब्ल्यू पी) दरों और उपयोग किए गए उत्सर्जन कारकों के स्रोत शामिल करने चाहिए। 9. कारोबार के प्रति रूपये पर स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता की गणना कुल उत्पन्न स्कोप 3 उत्सर्जन को कुल रूपयों के कारोबार से भाग देकर की जा सकती है। 10. कारोबार के अलावा, संस्थाएं स्वैच्छिक आधार पर, मेस्कोप 3 जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता अनुपात अन्य मेट्रिक्स में प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि : उत्पाद इकाई उत्पाद की मात्रा (जैसे कि मीट्रिक टन, लीटर मेगावाट घंटे); आकार (जैसा कि M2 फ्लोर स्पेस); पूर्ण-कालिक कर्मचारियों की संख्या

5	जैव-विविधता पर प्रभाव	1. इस क्षेत्र के अधीन, सिद्धांत 6 के अंतर्गत आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 पर संस्था द्वारा बताये गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए संस्था अपने परिचालनों के किसी प्रभाव की जानकारी दे सकती है जो ऐसे क्षेत्र की पारिस्थितिकी विशेषताओं, संरचनाओं और कार्यों में भारी बदलाव लाकर इस क्षेत्र के मूल स्वरूप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और यह ऐसा होगा कि दीर्घकाल में यहां निवास, उसके जनसंख्या स्तर और विशेष प्रजातियों, जो निवास स्थान को महत्वपूर्ण बनाती हैं, को बचाये नहीं रखा जा सकेगा।

सिद्धांत 7

व्यवसायों को सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करते समय, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से ऐसा करना चाहिए।

नेतृत्व संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/दिशा निर्देश
1	संस्था द्वारा वकालत की गई सार्वजनिक नीतियों की स्थितियों का विवरण	1. सूचीबद्ध संस्था उन मामलों को प्रकट करेगी जो सार्वजनिक नीति विकास में उसकी भागीदारी का केन्द्र हैं। 2. इसके अतिरिक्त, संस्था प्रत्येक मामले में अपनाई गई पद्धतियों के विवरण प्रदान करे जिसमें जिसमें अन्य समान व्यापारिक इकाइयों के साथ गठबंधन बनाकर संबद्धता, व्यापार मंडलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व, सामाजिक विपणन आदि शामिल हैं। 3. संस्था सार्वजनिक रूप से वकालत की गई प्रत्येक जन नीति पर सूचना की उपलब्धता के अनुसार हां या ना में जवाब देगी । 4. बोर्ड समीक्षा की उपयुक्त अवधि चुनें, जैसे कि: • तिमाही • अर्ध-वार्षिक • वार्षिक • अन्य, कृपया स्पष्ट करें 5. सार्वजनिक तौर पर वकालत की गई ऐसी जन नीति के मामले में स्थिति के विवरण वाले दस्तावेज का लिंक यदि उपलब्ध हो तो वह भी प्रदान करें।

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी प्रगति और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
1	सामाजिक प्रभाव आकलन का (एसआईए) विवरण	यदि संस्था ने भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के अनुरूप एसआईए का जिम्मा लिया है तो उसे इसकी जानकारी देनी चाहिये
3	समुदाय की शिकायतें सुनने वाले तंत्र का विवरण दें	स्थानीय समुदाय वे लोग या लोगों का समूह होता है जो ऐसे क्षेत्रों में रहते और / या कार्य करते हैं जो किसी संगठन के परिचालन से आर्थिक , सामाजिक या पर्यावरणीय रूप से प्रभावित (सकारात्मक या नकारात्मक रूप से) होते हैं। स्थानीय समुदाय में किसी संगठन के परिचालन के समीप रहने वाले लोगों से लेकर थोड़ी दूर रहने वाले वे लोग तक शामिल होते हैं जिनकी अभी भी इन संयंत्रों से प्रभावित होने की आशंका है।
4	एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त किए गए कच्चे माल का प्रतिशत	1. छोटे उत्पादकों का अर्थ है वे जहां स्वामी स्वयं एक कर्मचारी है और इसमें औपचारिक और / या उत्पादक शामिल होते हैं जैसे कि स्व-सहायता समूह और घर-आधारित कर्मचारियों के साथ-साथ निर्माता के स्वामित्व वाली संस्थाएं जैसे कि सहकारी समितियां, निर्माता कम्पनियां। 2. एमएसएमई मंत्रालय ने निम्न रूप में एमएसएमई को परिभाषित किया है : • सूक्ष्म : संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों पर निवेश एक करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं है। • लघु : संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों पर निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं है । • मध्यम : संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों पर निवेश 50 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है

नेतृत्व संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
2	आकांक्षी जिलों मेंअपनाई गई सीएसआर परियोजनाएं	सरकार के 'आकांक्षी जिलों का कायाकल्प ' कार्यक्रम के अनुसार तीव्र और प्रभावी कायाकल्प के लिए जिलों की एक सूची की पहचान की गई है। अतिरिक्त विवरणों के लिए निम्नलिखित लिंक देखें : https://niti.gov.in/about-aspirational-districts-programme
4	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित आपकी कंपनी के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यवसाय के स्वामित्व या अधिग्रहण वाली परंपरागत जानकारी पर आधारित बौद्धिक संपदाओं की संक्षिप्त सूचना प्रदान करें, स्वामित्व या अधिग्रहण के लिए, जैसा भी मामला हो, हां / ना में बतायें । यह बताने के लिये मामले के अनुसार हां या ना का चयन करें कि क्या ऐसे आईपीआर से मिलने वाले लाभों को जैविक संसाधन तक पहुंच तथा संबद्ध ज्ञान एवं लाभ सहभाजन विनियम, 2014 के अनुसार साझा किया जाता है। बौद्धिक सम्पदा बौद्धिक सम्पदा का संबंध बुद्धि से किये गये सृजन से है : जैसे कि आविष्कार , साहित्यिक , संगीतात्मक और कलात्मक कार्य, और चिह्न, नाम, आकृतियां और वाणिज्य में उपयोग किए गए डिजाइन जिसके लिए आईपी स्वामियों को संबन्धित राष्ट्रीय आईपी कानूनों के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। सामान्य प्रकार के आईपी में पेटेंट, (आविष्कार), कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, सॉफ्टवेयर, भौगोलिक संकेत और व्यापार के रहस्य, आदि शामिल हैं। परंपरागत ज्ञान का संबंध किसी स्वदेशी, तकनीकी, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक, चिकित्सीय या सांस्कृतिक ज्ञान से है जो जरूरी नहीं है कि लिखित में हो परन्तु उसका उपयोग होता है या सामान्यत: समुदायों को जानकारी है। विशेष उदाहरणों में नीम, तुलसी आदि की रोगाणुरोधक विशेषताएं शामिल हैं। ऐसे परंपरागत ज्ञान वाले "स्वामियों" के साथ कम्पनियों द्वारा साझा किए गए लाभों की गणना के आधार की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें
6	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण	कम्पनी द्वारा हाथ में ली गई प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए प्रविष्ट करें : 1. लाभार्थियों की कुल संख्या, 2. संवेदनशील और सीमांत समूहों से संबंधित लाभार्थियों का प्रतिशत

सिद्धांत 9

व्यवसायों को जिम्मेवार तरीके से अपने उपभोक्ताओं से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
4	सुरक्षा संबन्धी मुद्दों को लेकर उत्पाद वापस लेने के मामलों का विवरण	किसी उत्पाद को वापस लेना उपभोक्ताओं से खराब और / या संभावित असुरक्षित माल वापस लेने की प्रक्रिया है। इस संबध में संस्था के उत्पादों के स्वैच्छिक या जबरदस्ती वापस लेने के मामलों की संख्या बतायें और कारणों का उल्लेख करें।

नेतृत्व संकेतक

प्र. सं.	विषय	निर्देश/ दिशा निर्देश
1	चैनल / प्लेटफार्म जहां व्यवसाय के माल तथा सेवाओं की सूचना प्राप्त की जा सकती है	उन चैनलों / प्लेटफॉमों की जानकारी दें जहां व्यवसाय के माल तथा सेवाओं की सूचना प्राप्त की जा सके। उदाहरण के लिए कम्पनियों की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, हेल्प डेस्क कॉल सेंटर, आदि। यदि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हो तो ऐसी सूचना वाले दस्तावेज का लिंक भी प्रदान करें।

Funded by the
European Union

B+HR
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS | ASIA

UN
DP